अध्याय 4
वाहनों पर कर

अध्याय–4: वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

परिवहन विभाग राज्य में वाहनों पर कर का आरोपण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989, बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1994, और बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के अनुसार करता है। विभाग का नेतृत्व सरकार के स्तर पर प्रधान सचिव द्वारा और विभागीय स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता है। मुख्यालय में दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्तों द्वारा राज्य परिवहन आयुक्त की सहायता की जाती है। राज्य को नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों[1] तथा 38 जिला परिवहन कार्यालयों में बाँटा गया है। उन्हें मोटर वाहन निरीक्षक सहायता करते हैं। राज्य में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों का मुख्य कार्य वाहनों को रोड परमिट जारी करना है और मोटर वाहनों का निबंधन, फीस और करों का आरोपण एवं संग्रहण एवं चालक अनुज्ञप्ति निर्गत करने का उत्तरदायित्व, जिला परिवहन पदाधिकारियों को सौंपा गया हैं।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा ने परिवहन विभाग की 48 इकाईयों में से 23[2] के अभिलेखों का नमूना जाँच किया। इन नमूना जाँचित इकाईयों में कुल 6,92,549 वाहन निबंधित किये गये और 2,80,822/6,992 लाईसेंस/परमिट जारी किए गए। उसमें से 2,70,491 निबंधित वाहनों, 22,057 लाईसेंस और 1,954 परमिटों की लेखापरीक्षा जाँच में करों और सड़क सुरक्षा उपकरों का नहीं/कम वसूली, परिवहन वाहनों से उद्ग्रहणीय कर वसूल नहीं किया जाना, और अन्य अनियमितताएँ ₹ 43.58 करोड़ से सन्निहित 56,261 वाहनों (312 अवलोकनों) के मामले उजागर हुए जैसा कि **तालिका 4.1** में दिखाया गया है।

तालिका 4.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियाँ	अवलोकनों की संख्या	राशि
1.	मोटर वाहन करों की वसूली नहीं/कम किया जाना	29	10.41
2.	एकमुश्त कर की वसूली नहीं किया जाना	101	11.89
3.	फीस/अर्थदण्ड/उपकर/शास्ति का आरोपण नहीं किया जाना	93	11.44
4.	अन्य	89	9.84
कुल		**312**	**43.58**

विभाग ने 85 मामलों में ₹ 14.54 करोड़ के कम आरोपण, कम वसूली और अन्य कमियों को स्वीकार (अप्रैल 2017 और जुलाई 2019 के बीच) किया। इन 85 मामलों में से ₹ 2.49 करोड़ से संबंधित 24 मामले 2017–18 के दौरान और शेष पिछले वर्षों के दौरान इंगित किये गये थे। विभाग ने एक मामले में ₹ 12.12 लाख की वसूली प्रतिवेदित किया। 2017–18 और विगत वर्षों के शेष मामलों का जवाब प्रतीक्षित है (सितम्बर 2019)।

---

[1] भागलपुर, दरभंगा, छपरा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया और सहरसा।

[2] जिला परिवहन कार्यालय–19, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार–3 और राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय।

4.3 एकमुश्त कर भुगतान करने वाले वाहनों से सड़क सुरक्षा उपकर का आरोपण कम/नहीं किया जाना

परिवहन/वित्त विभाग के अनुमोदन के विपरीत संशोधन अधिसूचना जारी करने के कारण 12,865 व्यवसायिक वाहनों से सड़क सुरक्षा उपकर बिक्री मूल्य के एक प्रतिशत के बदले एकमुश्त कर का एक प्रतिशत के दर से वसूल किया गया जिससे ₹ 3.39 करोड़ के सड़क सुरक्षा उपकर का कम आरोपण किया गया। इसके अतिरिक्त *वाहन* डाटाबेस में सड़क सुरक्षा उपकर को परिमापित करने में देरी से 2,905 व्यैक्तिक वाहनों के मालिकों से ₹ 21.89 लाख की वसूली नहीं की जा सकी।

अगस्त 2016 से यथा संशोधित बिहार मोटर वाहन कराधान संशोधन अधिनियम, 1994 यह प्रावधित करता है कि धारा 7(1) के अंतर्गत एकमुश्त कर देने वाले प्रत्येक वाहनों से वाहन के मूल्य के एक प्रतिशत की दर से तथा अन्य सभी वाहनों से जो 7(1) के तहत एकमुश्त कर देने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, वार्षिक कर के एक प्रतिशत की दर से सड़क सुरक्षा उपकर का आरोपण एवं संग्रहण किया जायेगा।

4.3.1 अनियमित अधिसूचना के कारण एकमुश्त कर का भुगतान करने वाले व्यवसायिक वाहनों से सड़क सुरक्षा उपकर का कम आरोपण

उपरोक्त संशोधित अधिसूचना से संबंधित संचिका की जाँच से पता चला कि परिवहन और वित्त विभाग ने सभी एकमुश्त कर भुगतान करने वाले वाहन पर वाहन के मूल्य के एक प्रतिशत की दर से एवं वार्षिक कर भुगतान करने वाले वाहन पर वार्षिक कर के एक प्रतिशत की दर से सड़क सुरक्षा उपकर वसूली करने की मंजुरी दी थी। हालाँकि, उपरोक्त संशोधित अधिसूचना के आधार पर एकमुश्त कर भुगतान करने वाले व्यवसायिक वाहन, जो बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत नही आते हैं, के मूल्य पर सड़क सुरक्षा उपकर वसूलने से छुट दे दी गयी।

लेखापरीक्षा ने दो जिला परिवहन कार्यालयों (पूर्वी चंपारण और पटना) में *वाहन* डाटाबेस का जाँच किया और पाया कि 12,865 व्यवसायिक वाहन (तीन पहिया वाहनः 4,800; हल्के माल वाहनः 4,506; टैक्सी/मैक्सीः 1,984 और ई–रिक्शाः 1,575) आवश्यक एकमुश्त कर भुगतान के बाद 16 अगस्त 2016 और 20 दिसम्बर 2017 के बीच निबंधित हुए थे। चूँकि इन वाहनों ने एकमुश्त कर का भुगतान किया था, इसलिए उपयुक्त सड़क सुरक्षा उपकर वाहनों की बिक्री मूल्य का एक प्रतिशत होना चाहिए जो ₹ 3.56 करोड़ होता है। हालाँकि मात्र ₹ 16.97 लाख का सड़क सुरक्षा उपकर वाहनों के बिक्री मूल्य के एक प्रतिशत के बदले में एकमुश्त कर के एक प्रतिशत की दर से वसूल किया गया था। इस प्रकार संचिका में अनुमोदित टिप्पणी के विपरीत अधिसूचना जारी करने से न केवल ₹ 3.39 करोड़[3] सड़क सुरक्षा उपकर की कम वसूली हुई बल्कि एकमुश्त कर भुगतान करने वाले व्यवसायिक वाहनों को अनुचित सहायता भी मिला।

[3]

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला परिवहन कार्यालय का नाम	नमूना जाँचित वाहन	दोषी वाहन	निबंधन की तिथि	वाहनों की बिक्री मूल्य	आरोप्य सड़क सुरक्षा उपकर	आरोपित सड़क सुरक्षा उपकर	सड़क सुरक्षा उपकर का कम आरोपण
1.	पूर्वी चम्पारण	3,600	1,535	16 अगस्त 2016 एवं 22 नवम्बर 2017 के बीच	37.90	0.38	0.02	0.36
2.	पटना	11,577	11,330	16 अगस्त 2016 एवं 20 दिसम्बर 2017 के बीच	318.20	3.18	0.15	3.03
कुल		**15,177**	**12,865**		**356.10**	**3.56**	**0.17**	**3.39**

4.3.2 *वाहन* में सड़क सुरक्षा उपकर के परिमापन में देरी होने के कारण सड़क सुरक्षा उपकर का कम आरोपण किया जाना

लेखापरीक्षा ने सात जिला परिवहन कार्यालयों[4] में (मई और सितम्बर 2017 के बीच) *वाहन* डाटाबेस के निबंधन और कर भुगतान तालिका का जाँच किया और पाया कि आवश्यक एकमुश्त कर के भुगतान के बाद 2,905 व्यक्तिगत वाहनों ने 16 अगस्त 2016 और 20 फरवरी 2017 के बीच निबंधन कराया था। चूँकि ये वाहन एकमुश्त कर का भुगतान करते थे, इसलिए सड़क सुरक्षा उपकर, वाहनों के बिक्री मूल्य का एक प्रतिशत देय था जो ₹ 21.89 लाख आता है। सड़क सुरक्षा उपकर को 20 दिनों की देरी से *वाहन* डाटाबेस में परिमापित किया गया था एवं उस अवधि के दौरान जिस अवधि में यह *वाहन* में परिमापित नहीं था संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने मैन्युअल रूप से सड़क सुरक्षा उपकर की वसूली एवं भुगतान सुनिश्चित नहीं किया, हालाँकि सड़क सुरक्षा उपकर के भुगतान न करने की जानकारी *वाहन* डाटाबेस में उनके पास उपलब्ध थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विभाग ने सड़क सुरक्षा उपकर लगाने के प्रावधान को इसके अधिसूचित होने के बाद प्रभावी करने के लिए *वाहन* में आवश्यक बदलाव करने के लिए अग्रिम रूप से एनआईसी को निर्देश दिया (12 अगस्त 2016) था। प्रधान सचिव ने अपने सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ को भी निर्देश दिया था कि वह समय पर इसे परिमापित करने के लिए एनआईसी के साथ अनुवर्तन करे। हालाँकि सड़क सुरक्षा उपकर की अधिसूचना के तुरंत बाद न तो एनआईसी ने इसे परिमापित किया और न ही विभाग के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ ने प्रधान सचिव के निर्देश के बावजूद एनआईसी के साथ कोई अनुवर्ती कार्रवाई किया। इस प्रकार, परिमापण में देरी एवं बीच की अवधि के दौरान मैन्युअल रूप से सड़क सुरक्षा उपकर की गणना करने में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों की विफलता के कारण ₹ 21.89 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हो सकी।

जवाब में, छह जिला परिवहन पदाधिकारियों ने कहा (मई और सितम्बर 2017 के बीच) कि मांग–पत्र जारी किए जायेगें जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी अररिया ने कहा (जून 2017) कि विभाग से निर्देश प्राप्त होने के बाद सड़क सुरक्षा उपकर की वसूली हो रही थी। हालाँकि विभाग से (30 अगस्त 2016) निर्देश प्राप्त होने से पहले सड़क सुरक्षा उपकर की वसूली न करने के बारे में जवाब नहीं दिया गया।

यह मामला विभाग को दिसम्बर 2018 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका जवाब अभी भी प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

4.4 एकमुश्त कर की वसूली के बिना व्यवसायिक ट्रैक्टर को निबंधन चिह्न निर्दिष्ट किया जाना

वाहन के निबंधन से पहले कर भुगतान की आवश्यकता के अभाव के कारण, निबंधन के लिए 429 ट्रैक्टर मालिकों के आवेदन स्वीकार किये गये और आरोप्य अर्थदंड सहित ₹ 2.78 करोड़ के एकमुश्त कर की वसूली किए बिना *वाहन* में निबंधन चिह्न निर्दिष्ट करने के लिए आवेदन को संसाधित किया गया।

वित अधिनियम, 2014 द्वारा संशोधित बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1994 की धारा 7(8) यह प्रावधित करता है कि कृषि प्रयोजन के अलावा अन्य उपयोग में लाये गये या उपयोग हेतु रखे गये ट्रैक्टर पर मूल्यवर्द्धित कर को छोड़कर उसके मूल्य पर 4.5 प्रतिशत की दर से एकमुश्त कर उसके जीवन काल हेतु लगाया जाएगा। पुनः, बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4(2) के साथ पठित उपरोक्त अधिनियम की धारा 23 के अनुसार देय तिथि के भीतर कर का भुगतान न करने की स्थिति में देय कर का 25 से 200 प्रतिशत के बीच अर्थदंड का प्रावधान है।

[4] अररिया, बेगुसराय, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, पूर्णिया और शिवहर।

लेखापरीक्षा ने 13 जिला परिवहन कार्यालयों[5] में *वाहन* डाटाबेस के निबंधन और कर भुगतान तालिका का जाँच किया (अप्रैल 2017 और जनवरी 2018 के बीच) एवं पाया की 19,117 नमूना जाँचित मोटर वाहनों में से नव निबंधित 429 ट्रैक्टरों के मालिकों ने इनका कृषि प्रयोजन के इतर उपयोग किया लेकिन सितम्बर 2014 एवं नवम्बर 2017 के बीच एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया। यद्यपि देय एकमुश्त कर का भुगतान नहीं करने के कारण उन्हें कोई निबंधन प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया था, लेकिन निबंधन के लिए उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था और वाहन के निबंधन से पहले कर भुगतान की आवश्यकता के अभाव में निबंधन करने के लिए आवेदन को संसाधित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि एकमुश्त कर के भुगतान न करने की जानकारी *वाहन* डाटाबेस में जिला परिवहन पदाधिकारियों के पास उपलब्ध थी, लेकिन उन्होंने एकमुश्त कर की वसूली के लिए न तो अर्थदंड लगाया और न ही नीलामवाद दायर किया। इसके परिणामस्वरूप लगाए जाने वाले अर्थदंड सहित ₹ 2.78 करोड़ के एकमुश्त कर की वसूली नहीं की गई। इसके अलावा, उचित निबंधन प्रमाण पत्र के बिना इन वाहनों को चलने देना सड़क सुरक्षा एवं बचाव के लिए भी चिन्ता का विषय है।

मामला दिसम्बर 2018 में विभाग को प्रतिवेदित किया गया। विभाग ने 39 वाहनों से ₹ 12.12 लाख की वसूली प्रतिवेदित किया। शेष मामलों में जवाब अभी भी प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2019)।

4.5 एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान के लिए अर्थदंड की वसूली नहीं किया जाना

पाँच जिला परिवहन पदाधिकारियों ने मैन्युल रूप से ₹ 53.57 लाख के अर्थदंड का आरोपण और भुगतान को सुनिश्चित नहीं किया, हालाँकि एकमुश्त कर के देरी से भुगतान की जानकारी *वाहन* डाटाबेस में उपलब्ध थी।

बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली 1994 के नियम 4(2), के साथ पठित बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम ,1994 के धारा 23 के प्रावधानों के तहत देय तिथि तक कर भुगतान नहीं करने की स्थिति में देय कर का 25 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत तक अर्थदण्ड का प्रावधान है। यह प्रावधान *वाहन*[6] सॉफ्टवेयर में परिमापित किए गये थे जो मोटर वाहनों के राज्य रजिस्टर को विकसित करने के लिए था।

लेखापरीक्षा ने पाँच जिला परिवहन कार्यालय[7] के *वाहन* डाटाबेस के निबंधन एवं कर भुगतान तालिका का जाँच (मई 2017 और जनवरी 2018 के बीच) किया और पाया कि 2,310 नमूना जाँचित वाहनों में से 185 वाहनों[8] के मालिकों ने अप्रैल 2015 और दिसम्बर 2017 के बीच 31 से 495 दिनों के विलम्ब से अपने एकमुश्त कर का भुगतान किया। *वाहन*–2 सॉफ्टवेयर में एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान के कारण लगने वाले अर्थदण्ड से संबंधित प्रावधान को परिमापित किया गया था। इसके बावजूद, न तो *वाहन* साफ्टवेयर ने अर्थदंड का स्वतः गणना किया एवं ₹ 53.57 लाख के अर्थदंड सहित कर टोकन उत्पन्न किया एवं न ही संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने मैन्युअल रूप से अर्थदंड का आरोपण एवं भुगतान सुनिश्चित किया, हालाँकि एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान की जानकारी *वाहन* डाटाबेस में उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त, इस प्रावधान के परिमापन के बावजूद एकमुश्त कर के विलम्बित भुगतान के लिए *वाहन* द्वारा अर्थदंड की गणना नहीं करना मैन्युअल हस्तक्षेप के संभावना को इंगित करता है, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 53.57 लाख का अर्थदंड का आरोपण नहीं किया गया।

यह मामला दिसम्बर 2018 में विभाग को प्रतिवेदित किया गया था; उनका जवाब अभी भी प्रतीक्षित था (सितम्बर 2019)।

---

[5] बेगुसराय, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, जहानाबाद, खगड़िया, मधेपुरा, मुजफ्फरपरु, पटना, पूर्णिया, शिवहर, शेखपुरा, सिवान और सुपौल।

[6] वाहनों के निबंधन और सड़क कर भुगतान के लिए विकसित किया गया एक एप्लीकेशन।

[7] बेगुसराय, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पटना और शिवहर।

[8] 178 जीप/टैक्सी और सात मैक्सी/कैब हैं।

4.6 मोटर वाहन कर का वसूली नहीं किया जाना

जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कर चूककर्त्ता वाहनों का पता लगाने हेतु *वाहन* डाटाबेस की आवधिक समीक्षा संबंधी प्रणाली के अभाव के कारण 12 जिला परिवहन कार्यालयों में ₹ 1.26 करोड़ अर्थदंड सहित ₹ 1.90 करोड़ के कर (सड़क कर; ₹ 62.51 लाख; ग्रीन करः ₹ 0.65 लाख और सड़क सुरक्षा उपकर : ₹ 0.75 लाख) की वसूली नहीं की गई।

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 के अनुसार प्रत्येक निबंधित मोटर वाहन का मालिक कर पदाधिकारियों जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन निबंधित है, को वार्षिक मोटर वाहन कर का भुगतान करेगा। पुनः, उपरोक्त अधिनियम के तहत देय वार्षिक कर के एक प्रतिशत के दर से सड़क सुरक्षा उपकर वसूल करने का प्रावधान है। निवास/व्यवसाय में बदलाव की स्थिति में मोटर वाहन मालिक नये कर पदाधिकारी को कर का भुगतान कर सकता है बशर्ते उसके पास पिछले कर पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र हो। इसके अतिरिक्त कर पदाधिकारी वाहन मालिक को कर के भुगतान से छुट दे सकता है। बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 यह प्रावधित करता है कि किसी वाहन का कर 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया है तो कर पदाधिकारी देय करों के दुगुने दर से अर्थदंड लगा सकता है।

लेखापरीक्षा ने 12 जिला परिवहन कार्यालयों[9] में *वाहन* डाटाबेस के निबंधन डाटा और कर भुगतान तालिका का जाँच किया और पाया कि 1,56,144 निबंधित व्यवसायिक परिवहन वाहनों एवं नमूना जाँचित 9,326 में से 656 परिवहन वाहनों के मालिकों ने जून 2014 और जनवरी 2018 के बीच की अवधि से संबंधित अपने मोटर वाहन करों का भुगतान नहीं किया। इनमें से किसी भी मामले में संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों के क्षेत्राधिकार में वाहनों का परिचालन नहीं होने का साक्ष्य[10] अभिलेखों पर नहीं था। तथापि संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने *वाहन* सॉफ्टवेयर से चूककर्त्ताओं की सूची उत्पन्न नहीं किया, न ही वाहन मालिकों के साथ कोई पत्राचार किया, न ही चूककर्त्ता के खिलाफ अर्थदंड का आरोपण तथा बकाये की वसूली के लिए नीलामवाद[11] दायर करने की प्रक्रिया शुरू किया जबकि चूककर्त्ता द्वारा कर के भुगतान नहीं करने से संबंधित सूचना उनके पास *वाहन* डाटाबेस में उपलब्ध थी। परिणामस्वरूप ₹ 1.26 करोड़ के अर्थदंड सहित ₹ 1.90 करोड़ के कर (सड़क कर : ₹ 62.51 लाख; ग्रीन कर ₹ 0.65 लाख और सड़क सुरक्षा उपकरः 0.75 लाख) की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा अवलोकन के जवाब में; जिला परिवहन पदाधिकारी गोपालगंज ने परिवहन वाहनों के चूककर्त्ता मालिकों को माँग पत्र निर्गत (नवम्बर 2017) किया।

मामला विभाग को दिसम्बर 2018 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके जवाब अभी भी प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2019)।

---

[9] बेगुसराय, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, खगड़िया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, सारण तथा वैशाली।

[10] जैसा कि मालिकों के पते में बदलाव या कर भुगतान से छुट प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों का समर्पण करना जैसा कि बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम के धारा–17 के साथ पठित धारा–9 में विहित था।

[11] नीलामवाद मामले दायर करनाः जब नीलामवाद पदाधिकारी संतुष्ट होता है कि समाहर्ता को कोई भी सार्वजनिक माँग देय है, वह निर्धारित फार्म में प्रमाण–पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है, यह बताते हुए कि माँग देय है और उसके कार्यालय में नीलामवाद दायर किया जाएगा।

अनुशंसाः

विभाग को कर का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वाहन डाटाबेस से वास्तविक समय पर आधारित माँग–पत्र चूककर्त्ता को निर्गत करना सुनिश्चित करना चाहिए।

बताई गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा आधारित हैं। इसलिए, विभाग/सरकार सभी इकाइयों का यह जाँच करने के लिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा एक प्रणाली, जो इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सके, को स्थापित करने के लिए व्यापक पुनरीक्षण कर सकती है।